"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."




पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 26 जनवरी 2018—माघ 6, शक 1939

## भाग 3 ( 1 )

### विज्ञापन

### अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती अनिता पाल ध.प. श्री अमल सुखनंदन पाल, उम्र 64 वर्ष, निवासी-त्रिनिटी, 6/11, इस्पात, नगर, रिसाली, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम कुमारी अनिता बानी आत्मजा श्री जी. सी. बानी था तथा यही नाम मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व सभी आवश्यक शासकीय/अर्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज है. मेरा विवाह श्री अमल सुखनंदन पाल के साथ संपन्न हुआ, विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम श्रीमती अनिता पाल रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अतः अब मुझे श्रीमती अनिता पाल ध.प. श्री अमल सुखनंदन पाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

कुमारी अनिता बानी
पिता-श्री जी. सी. बानी
निवासी-त्रिनिटी, 6/11, इस्पातनगर, रिसाली,
भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

**नया नाम**

श्रीमती अनिता पाल
पति-श्री अमल सुखनंदन पाल
निवासी-त्रिनिटी, 6/11, इस्पातनगर, रिसाली,
भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

# नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मनीष कुमार साहू आत्मज श्री गैंद राम साहू, उम्र 20 वर्ष, निवासी-वार्ड नं.-01, रामभवन पारा, बरबसपुर, बागबाहरा जिला-महासमुंद (छ.ग.) का हूं. यह कि मैंने कक्षा दसवीं की परीक्षा, इंग्लिश मीडियम, स्कूल गाजुवाका विशाखापट्नम (आंध्रप्रदेश) से उत्तीर्ण किया हूं तथा मेरे अंकसूची में मेरे पिता का नाम गोविन्द राम साहू दर्ज हो गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, जबकि मेरे पिता का सही नाम गैंद राम साहू (Gaind Ram Sahu) है जो कि उनके आधार कार्ड व मेरे अन्य आवश्यक दस्तावेजों, अभिलेखों में दर्ज है. मेरी कक्षा दसवीं की अंकसूची में मेरे पिताजी के गलत नाम गोविन्द राम साहू (Govind Ram Sahu) के स्थान पर सही नाम गैंद राम साहू दर्ज किया जावे. इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे मनीष कुमार साहू आ. श्री गैंद राम साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

मनीष कुमार साहू (Manish Kumar Sahu)
पिता-गोविन्द राम साहू (Govind Ram Sahu)
निवासी-वार्ड नं.-01, रामभवन पारा, बरबसपुर, बागबाहरा,
तह. व जिला-महासमुन्द (छ.ग.)

**नया नाम**

मनीष कुमार साहू (Manish Kumar Sahu)
पिता-श्री गैंद राम साहू (Shri Gaind Ram Sahu)
निवासी-वार्ड नं.-01, रामभवन पारा, बरबसपुर, बागबाहरा,
तह. व जिला-महासमुन्द (छ.ग.)

---

# नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अश्वनी आत्मज स्व. फेरहा, उम्र 52 वर्ष, निवासी-म.नं.-229, दुर्गा मंदिर, सेक्टर-11, जोन-3, खुर्सीपार, भिलाई, तहसील व जिला-दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं, मेरे वित्त विभाग के घोषणा एवं नामांकन प्रपत्र में मेरे पिताजी का नाम फिरहा दर्ज है, जो कि त्रुटिपूर्ण है किन्तु मेरे आधार कार्ड व मेरे अन्य अभिलेखों/दस्तावेजों में मेरे पिताजी का सही व वास्तविक नाम फेरहा दर्ज है. अतः मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरे पिताजी का सही व वास्तविक नाम दर्ज किया जावे. इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे अश्वनी आ. स्व. फेरहा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

**पुराना नाम**

अश्वनी
पिता-स्व. फिरहा
निवासी-म. नं.-229, दुर्गा मंदिर, सेक्टर-11, जोन-3,
खुर्सीपार, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

**नया नाम**

अश्वनी
पिता-स्व. फेरहा
निवासी-म. नं.-229, दुर्गा मंदिर, सेक्टर-11, जोन-3,
खुर्सीपार, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.)

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रमेश कुमार परगनिहा, आत्मज श्री तुलसी राम परगनिहा, उम्र 46 वर्ष, निवासी-क्वा. नं.-1/बी, सड़क-21, सेक्टर-5, भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूं. मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड व अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों/अभिलेखों में मेरा सही व पूर्ण नाम रमेश कुमार परगनिहा आ. श्री तुलसी राम परगनिहा दर्ज है, किन्तु मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम रमेश कुमार आ. तुलसी राम दर्ज है जो कि अपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर सही व पूर्ण नाम रमेश कुमार परगनिहा आ. श्री तुलसी राम परगनिहा रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे रमेश कुमार परगनिहा आ. श्री तुलसी राम परगनिहा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
|---|---|
| रमेश कुमार<br>पिता-तुलसी राम<br>निवासी-क्वा. नं.-1/बी, सड़क-21, सेक्टर-5, भिलाई नगर,<br>तहसील व जिला-दुर्ग (छ.ग.) | रमेश कुमार परगनिहा<br>पिता-श्री तुलसी राम परगनिहा<br>निवासी-क्वा. नं.-1/बी, सड़क-21, सेक्टर-5, भिलाई नगर,<br>तहसील व जिला-दुर्ग (छ.ग.) |

---

## उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, उस्मान अली आत्मज महमूद आलम, उम्र 49 वर्ष, निवासी-वार्ड नं.-59, हरि नगर, कातुलबोर्ड, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम उस्मान गनी अंसारी आ. मोहम्मद महमूद अंसारी था यही नाम मेरे बैंक पास बुक, एल.आई.सी. के दस्तावेजों, राशनकार्ड में दर्ज है तथा मैं इसी नाम से जाना, पहचाना जाता था. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम उस्मान अली आ. महमूद आलम रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे उस्मान अली आ. महमूद आलम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

| **पुराना नाम** | **नया नाम** |
|---|---|
| उस्मान गनी अंसारी<br>पिता-मोहम्मद महमूद अंसारी<br>निवासी-वार्ड नं.-59, हरिनगर, कातुलबोर्ड, दुर्ग<br>तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.) | उस्मान अली<br>पिता-महमूद आलम<br>निवासी-वार्ड नं.-59, हरिनगर, कातुलबोर्ड, दुर्ग<br>तह. व जिला-दुर्ग (छ.ग.) |

# विविध

## न्यायालयों की सूचनाएं

### कार्यालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग, जिला-दुर्ग

दुर्ग, दिनांक 19 दिसम्बर 2017

प्रारूप
[देखे नियम 5 (1)]

[छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 1962 के नियम 5 (1) के द्वारा लोक न्यास के पंजीयक दुर्ग जिला दुर्ग के समक्ष ]

क्रमांक 3396/प्र. 2./अ.वि.अ./2017.—यत: कि आवेदक श्री विनय ताम्रकार आ. श्री राघव प्रसाद ताम्रकार, निवासी-जयभीमनगर उरला मेघा ट्रेडर्स के पास दुर्ग द्वारा कम्पलसरी स्पोट्र्स-जयभीमनगर उरला, मेघा ट्रेडर्स के पास दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग के छ.ग. लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन नीचे लिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु आवेदन दिया गया है, एतद्द्वारा सूचनापत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 12-01-2017 को मेरे न्यायालय में विचार किया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान होने के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची
(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) | लोक न्यास का नाम व पता | : | कम्पलसरी स्पोट्र्स, पता-जयभीमनगर उरला, मेघा ट्रेडर्स के पास दुर्ग, तहसील व जिला-दुर्ग. |
| (2) | अचल संपत्ति | : | निरंक |
| (3) | चल संपत्ति | : | 10,000=00 (अक्षरी दस हजार रु. नगद) |

**कैलाश वर्मा,**
पंजीयक, लोक न्यास एवं
अनुविभागीय अधिकारी.

---

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.